सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 26, शुक्रवार, शाके 1944-मार्च 17, 2023
Phalguna 26, Friday , Saka 1944- March 17, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 10, 2023

संख्या प. 20 (1) गृह-9/2023 :-यतः राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड] राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः राज्य सरकार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को एतद्द्वारा दिनांक 31-07-2023 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 10, 2023

संख्या प. 20 (1) गृह-9/2023 :-यत राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-03-2023 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को 31-07-2023 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

यत राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) की

शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 31-07-2023 तक के लिये प्रतिषेध करती है

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।